कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 5604/2021 सुनीता सैनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 18.11.2021 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/सुनीता सैनी/अ.स. 5604/2021 दिनांक 31.12.2021 द्वारा नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन राउमावि. जिली (215482) चुरू किया गया।

उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्व पुनः माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 250/2022 सुनीता सैनी बनाम राज्य में माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2022. द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.12.2021 का कियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर स्थांनातरण किया जाता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.05.2022 से आगामी आदेश तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाये जाने की स्थिति में एवं माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में तथा प्रशासनीक अत्यावश्यकता, छात्रहित को देखते हुए सुनीता सैनी व्याख्याता भूगोल का पदस्थापन राउमावि. जिली (215482) चुरू किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का तत्काल प्रभाव से शाला दर्पण के माध्यम से सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

अपीलार्थी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/सुनीता सैनी/अ.स. 5604/2021 दिनांकः–28/4/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग .....।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....।
7. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर.....।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि .....।
11. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/स्थानांतरण/भूगोल/2020–21/1–73 दिनांक 02.02.2021 द्वारा कमलेश कुमार नागर व्याख्याता भूगोल राउमावि. हमीरपुर (222093) टोंक का स्थानांतरण राउमावि. झालरा (221977) टोंक किया गया। कमलेश कुमार नागर ने इस स्थानांतरण आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 1090/2021 कमलेश कुमार नागर बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2021 में विवादग्रस्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

तत्पश्चात माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 11.12.2021 द्वारा आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.02.2021 अपास्त कर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के संबंध में नवीन स्थानांतरण आदेश पारित करता है तो यह आदेश उसमें बाधक नही रहेगा तथा आदेशित किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी करने तक अपीलार्थी यथा स्थान कार्य करते रहेगें।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.05.2021 से आगामी आदेश तक स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाये जाने की स्थिति में माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में कमलेश कुमार नागर का पदस्थापन राउमावि. लांबाहरिसिंह मालपुरा (221933) टोंक में व्याख्याता भूगोल के पद पर पदस्थापन/समायोजन किया जाता है।

अपीलार्थी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/कमलेश नागर/अ.स. 1090/2021 दिनांकः–28/6/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग .....।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....।
7. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर.....।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि .....।
11. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 4822/2021 हंसराज मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 26.10.2021 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/हंसराज/अ.स. 4822/2021 दिनांक 31.01.2022 द्वारा नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन राउमावि. आंतरी डूंगरपुर किया गया।

उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्व पुनः माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1119/2021 हंसराज मीणा बनाम राज्य में माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2022 द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.01.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.03.2022 का कियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर स्थांनातरण किया जाता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.05.2022 से आगामी आदेश तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाये जाने की स्थिति में एवं माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में तथा प्रशासनीक अत्यावश्यकता, छात्रहित को देखते हुए हंसराज मीणा व्याख्याता भूगोल का पदस्थापन राउमावि. आंतरी (222389) डूंगरपुर किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का तत्काल प्रभाव से शाला दर्पण के माध्यम से सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

अपीलार्थी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/हंसराज /अ.स. 4822/2021 दिनांकः–28/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग .....।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....।
7. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर.....।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि .....।
11. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर